

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
(श्री राकेश कुमार, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या :- 02/2019 (गुण्डा एक्ट)
दायर दिनांक :- 28-03-2019
निर्णय दिनांक :- 22-07-2019

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

-----प्रार्थी

बनाम

श्री आरीफ उर्फ भाई लाल उर्फ मीठठी पिता छोटू मोहम्मद निवासी थाने के पिछे
राजनगर थाना राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द

-----अप्रार्थी, गे०सा०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :-

1. सहायक लोक अभियोजक
2. श्री कपिल व्यास, अधिवक्ता गैरसायल

--: निर्णय :-

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांक:एफ17/4(7)असा/2011/1527 दिनांक 01-03-2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे०सा० के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल/अप्रार्थी के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना राजनगर में दर्ज हुई है :-

क्र.स.	प्र०सा०	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	207/2016	13 आरपीजीओ एक्ट	157/28.06.2016	सजा 22.02.2018
2	175/2017	13 आरपीजीओ एक्ट	133/08.07.2017	सजा 10.07.2017

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित । गैर सायल मय अधिवक्ता को दिनांक 01.04.2019 को नोटिस सुनाया गया । गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा जबाब देने से मना किया जाकर सीधे बहस की गई ।

सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गई । सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि गैर सायल के विरुद्ध 13 आरपीजीओ एक्ट के दो प्रकरण दर्ज किये हैं ओर दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा हुई है। गैर सायल को 13 आरपीजीओ एक्ट के दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जा चुका है जिससे वह गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत दोष सिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है । गैर सायल की आदतों से समाज को खतरा है । अतः गैर सायल को जिला बदर किया जावे ।

h

गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि मेरे विरुद्ध 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया गया है। दोनों प्रकरणों में गैर सायल द्वारा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया गया है। गैर सायल गुण्डा नहीं हैं, एक साधारण परिवार का गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे कि जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा हो और न ही आदतन अपराधी है। गैर सायल के विरुद्ध जिन प्रकरणों में कार्यवाही की गई है वे छ माह की अवधि में दोष सिद्ध के नहीं हैं। गैर सायल के विरुद्ध: गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाकर गैर सायल को माफ किया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरुद्ध दो प्रकरण 13 आरपीजीओ एक्ट में दर्ज किये गये हैं। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया जा चुका है तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है। विपक्षी को 02 प्रकरणों में 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत दण्डित किया गया है। जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है। अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध कर दण्डित किया गया है। पैरवी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। गैर सायल के ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है। गैर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गैर सायल ने इसके खण्डन में ऐसा कोई ठोष प्रमाण पेश नहीं किये हैं, जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके। गैर सायल के विरुद्ध प्रथम दृष्टया गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री आरीफ उर्फ भाई लाल उर्फ मिठठी पिता छोटू मोहम्मद निवासी- थाने के पिछे राजनगर पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें दस दिन के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के दस दिन तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गैर सायल प्रत्येक तीन दिवस को पुलिस स्टेशन मावली जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा। यह आदेश गैर सायल की पुलिस स्टेशन, मावली जिला उदयपुर में प्रथम उपस्थित तिथि से लागू होगा। गैर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधिक्षक एवं थानाधिकारी को भेजी जावे।


(राकेश कुमार)

अति० जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 22-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राकेश कुमार)

अति० जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द